दिनांक 29/12/2022

//बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 की कांउसिलिंग प्रकिया संबंधी सूचना एवं आवश्यक दिशा निर्देश//

मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यायों में शासन द्वारा स्वीकृत सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देशः–

1. पात्र महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना ऑनलाईन पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग लॉकिंग समय सारणी में उल्लेखित समय–सीमा में कराया जाना आवश्यक है।

2. पंजीयन एवं विकल्प दर्ज करने से पूर्व अभ्यर्थी संचालनालय की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in, एवं एम0पी0 आनलाईन के पोर्टल dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग मेनुअल का अध्ययन कर ले इसके पश्चात ही प्रक्रिया संपन्न करें।
3. पंजीकरण च्वाईस फिलिंग के उपरांत च्वाईस लॉक करने हेतु अभ्यर्थी को 1100/– का शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। यह शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी अपने नेट बैकिंग/डेबिटकार्ड/केडिटकार्ड/यु.पी.आई अथवा अपने नजदीक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से कर सकता है।
4. पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा समय सारणी में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में च्वाईस फिलिंग, च्वाईस लॉकिंग संपन्न किये जाने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। आवंटन हेतु च्वाईस लॉक किया जाना अनिवार्य है।
5. सीटों पर श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार रहेगा :–

UR	ST	SC	OBC	EWS
27%	20%	16%	27%	10%

6. सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु 3 प्रतिशत तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2019 अनुसार 6 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांग प्रवर्ग हेतु।
7. काउंसिलिंग ऑनलाईन पद्दिति से दो चरणों में की जायेगी।
8. द्वितीय चरण में प्रवर्ग विशेष /श्रेणी विशेष के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित प्रवर्ग/श्रेणी की सीटों का कन्वर्सन किया जायेगा (Category and class conversion)। कन्वर्सन निम्नानुसार किया जायेगा :–

   ST > SC> ST> OBC> EWS> UR
9. पंजीकरण एवं च्वाईस फिलिंग की प्रकिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। पंजीकरण एवं च्वाईस फिलिंग के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकि त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

10. उपलब्ध सीटों पर आनलाईन आवंटन मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्री–नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST **2021–22**) के परिणाम के आधार पर किया जायेगा।
11. आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter)एमपी आनलाईन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेगा।
12. आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा, मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त पात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। अपात्रता की स्थिति में अभ्यर्थी का आवंटन स्वमेव निरस्त होगा।
13. आवंटित अभ्यर्थी को समय सारणी में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में उसे आवंटित हुये महाविद्यालय में स्वयं पांच पासपोर्ट साईज की कलर फोटों जो कि अभ्यर्थी द्वारा व्यापम की परीक्षा के आवेदन पर लगाया गया था के साथ उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों (भौतिक) का सत्यापन कराया जाना एवं प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में अभ्यर्थी को ऑनलाईन अटेडेंस लॉग इन करने के उपरान्त ही दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
14. प्रथम चरण में प्रवेश उपरान्त सीट से त्यागपत्र दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वितीय चरण की कांउसिलिंग होने पर भाग लेने हेतु अपात्र होगा।
15. समस्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन उपरान्त प्रवेश हेतु मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय संबंधित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. प्रवेश हेतु चयन संबंधी नियम PNST 2021, संचालनालय की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in, एवं एम0पी0 आनलाईन के पोर्टल dme.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
17. ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (एडमिशन स्लिप) प्राप्त करने पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।
18. नर्सिंग काउंसिलिंग से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए dmenursingcounselling@gmail.com पर ई–मेल कर सकते है।
19. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की वे काउसिलिंग संबंधी जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाईट के सतत् संपर्क में रहे।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश